बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
अधिसूचना

संख्या-11/आ०2-1090/2024— 138 पटना, दिनांक- 15/01/2025

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी अन्तर्गत संचालित ''हर घर नल का जल'' योजनाओं के क्रियाशीलता की जाँच जिला प्रशासन के स्तर से दिनांक-20.11.2024 एवं दिनांक-21.11.2024 को की गयी। निरीक्षण के उपरान्त विभागीय पोर्टल से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा से विदित होता है कि कुल 2962 अदद योजनाओं की जाँच में बोरिंग फेल, मोटर जलने, पाईप में रिसाव, पाईपलाईन मिस-लिकिंग, स्टेजिंग में त्रुटि, बारम्बार विद्युत समस्याएं एवं स्टार्टर जलने आदि कारणों से 1384 अदद योजनाएँ अक्रियाशील हैं।

02. Zero Office Day अभियान के तहत पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित कुल 151 योजनाओं के निरीक्षण में 07 योजनाएँ अक्रियाशील पायी गयी एवं 58 अदद योजनाएँ ऐसी थी, जो क्रियाशील थी, परन्तु उनमें मरम्मति की आवश्यकता थी। निरीक्षण किये गए कुल 1264 अदद चापाकलों में से 167 अदद चापाकल अक्रियाशील पाया गया।

03. प्रमंडल स्तर से CGRC Portal पर कुल 82 अदद शिकायतों को निष्पादित दिखाते हुए अनुपालन प्रतिवेदन अपलोड किया गया है, जबकि विभागीय नियंत्रण कक्ष से दूरभाष पर शिकायतकर्त्ताओं से मामले का सत्यापन कराने पर कुल 06 अदद शिकायतकर्त्ताओं का ही Feedback संतोषप्रद पाया गया, जबकि कुल 25 अदद शिकायतकर्त्ताओं का Feedback असंतोषप्रद पाया गया है।

04. योजनाओं के बंद रहने एवं विभागीय मानक के अनुरूप योजनाओं का संचालन नहीं किये जाने से यह स्पष्ट है कि श्री अंबिका प्रसाद मंडल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी द्वारा योजनाओं का नियमित अनुश्रवण एवं निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनके स्तर से संवेदकों के विरूद्ध भी योजना बंद रहने एवं मानक के अनुरूप योजनाओं के क्रियाशील नहीं रहने के बावजूद एकरारनामा में वर्णित प्रावधान के अनुरूप कार्रवाई की अनुशंसा वरीय पदाधिकारियों/विभाग को नहीं की गयी। CGRC Portal पर श्री मंडल द्वारा गलत एवं भ्रामक प्रतिवेदन अपलोड किया जाना उनके स्तर से विभाग को दिग्भ्रमित करने के प्रयास का द्योतक है।

05. श्री मंडल का उपर्युक्त कृत्य एवं आचरण उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही, स्वेच्छाचारिता एवं विभागीय आदेशों की अवहेलना का परिचायक तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i), 3(1)(ii) एवं 3(1)(iii) में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। उक्त प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री मंडल प्रथम द्रष्टया दोषी हैं एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं

अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री मंडल को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अतः श्री अंबिका प्रसाद मंडल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(क) के तहत आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

06. निलंबन अवधि में श्री मंडल का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर रहेगा।

07. निलंबन के दौरान श्री मंडल को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

08. प्रस्ताव पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

15.01.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1090/2024- 139 पटना, दिनांक- 15/01/2025

प्रतिलिपिः-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्त(वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधुबनी/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.01.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1090/2024- 139 पटना, दिनांक- 15/01/2025

प्रतिलिपिः-माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र, मुजफ्फरपुर/अधीक्षण अभियंता, दरभंगा/प्रशाखा पदाधिकारी-1, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/श्री अंबिका प्रसाद मंडल, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, मधुबनी/विभागीय आई0टी0 मैनेजर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.01.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव

ज्ञापांक-11/आ०2-1090/2024- 139 पटना, दिनांक- 15/01/2025

प्रतिलिपि:-जिला पदाधिकारी, मधुबनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15.01.25

(संजीव कुमार)
विशेष सचिव